न्यायालय प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या– अपील सख्या 65/16. तारीख रजु 04.07.2016.

उनवान

देवेन्द्र कुमार भारद्वाज, भंवर विलास रोड, करौली। अपीलान्ट

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, करौली रेस्पोडेण्ट

प्रथम अपील विरुद्ध सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार करौली, जिला करौली अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 18.09.2017

1. उभय पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं।
2. मैंने पत्रावली का अवलोकन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 15.03.2016 के माध्यम से एक व्यक्ति की सेवा संबंधी सूचना की अपेक्षा की थी।
4. प्रत्यर्थी पक्ष ने 25.07.16 के पत्र से यह स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी को दिनांक 06.04.16 के पत्र से नियमानुसार उपलब्ध करवा दी गई थी। नागरिक अधिकार पत्र के अनुसार नामांतकरण प्रति शुल्क 20 रू. तथा दैनिक डायरी शुल्क प्रत्येक दिन के अनुसार 20 रुपये निर्धारित की गई है जबकि अपीलार्थी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 2 रुपये प्रति पेज की दर से चाहता है। नागरिक अधिकार पत्र के अनुसार नामांतकरण व दैनिक डायरी की फीस कम करने से राजस्व हानि होती है। सूचना निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करवा दी गई थी।
5. अपीलार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील खारिज होने योग्य है।
6. अतः वर्तमान अपील को खारिज किया जाता है।
7. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

अभिमन्यु कुमार
प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, करौली